

झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-  
प्रेषक:

रा0खा0आ0 - 774

संजय कुमार  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सभी अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
झारखण्ड।

विषय:-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO) के न्यायालय में दायर परिवाद-पत्रों के निष्पादन से सम्बन्धित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-2853 दिनांक-26.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी जिलों के अपर समाहर्ता को

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत शिकायत के निवारण हेतु जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदानिहित किया गया है। उक्त के आलोक में शिकायतकर्ता द्वारा परिवाद-पत्र अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिए जाते रहे हैं एवं जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पक्षकारों के पक्ष को सुनकर विधिसम्मत आदेश भी पारित किए जाते रहे होंगे। परन्तु आयोग में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्राप्त परिवाद-पत्र एवं निष्पादन से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आयोग द्वारा राज्य में अब तक प्राप्त परिवाद-पत्र एवं निष्पादन से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के साथ-साथ मासिक प्रतिवेदन भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में वांछित आंकड़े दिनांक-10.12.2021 तक उपलब्ध कराया जाय। साथ ही प्रत्येक माह के 10 तारीख तक पूर्ववर्ती माह का मासिक प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक- 23.11.2021

ज्ञापांक-रा0खा0आ0 (परिवाद) 25/2021-774

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से भी जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को समय-सीमा के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक- 23.11.2021